न्यायालय श्री मान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर ,

104

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE 1 Re. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

R 1365 III/06

1- हरिशंकर
2- शंकरलाल
3- रविभान — पिसराम जगदीश प्रसाद
4- चन्द्रभान
5- चोरसिया देवी पत्नी जगदीश प्रसाद

सभी निवासी ग्राम देउर तह० त्योंथर जिला रीवाम०प्र०

— आवेदक गण

श्री के. के. द्विवेदी द्वारा आज दि० 31/7/06 को प्रस्तुत।
31/7/06
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

बनाम

1- जगजीवन — पिसराम रामगरीब ,
2- देवशरण
3- रामसखा — पिसराम बच्चू यादव
4- राममिहोर

सभी निवासी ग्राम देउर तह० त्योंथर जिला रीवा

{म०प्र०}

- अनावेदकगण

31.7.06
K. Dwivedi

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, रीवा सम्भाग रीवा के प्र०क्र० 816/अपील/05-06 में पारित आदेश दिनांक 6-7-06

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा० सं० 1959 ई०

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1- आवेदक गण ने ग्राम देउर की आ० क्र० 69/2 रकवा 0.06

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1365–दो/06 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–8–16	आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अभिभाषक ने प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 816/अपील/05–06 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2006 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण का संक्षेप सार है कि आवेदकगण द्वारा विचरण न्यायालय में विवादित आराजी के कब्जा दर्ज करने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है । विचरण न्यायालय ने स्थल पंचनामा होने के बाद प्र0क्र0 6/अ–6/03–04 दर्ज किया तथा दिनांक 30.12.03 को आवेदक का कब्जा दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 26.07.05 को अपील स्वीकार करते हुये प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर के द्वारा पारित आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । प्र0क्र0 816/अपील/05–06 पंजीबद्ध किया गया	

तथा पारित आदेश दिनांक दिनांक 06.07.2006 को अपर आयुक्त द्वारा अपील म्याद के बाहर मानकर निरस्त किया गया । अपर आयुक्त रीवा के उक्त आदेश दिनांक 06.07.2006 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि धारा 5 म्याद में उदारता पूर्व रूख अपना कर निर्णय किया जाना चाहिये। आवेदकगण ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति है और उनकी ओर से पैरवी अधिवक्त द्वारा की जाती है । अधिवक्ता द्वारा सूचना मिलने पर ही पक्षकार कार्यवाही कर सकता है । उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय को मूल प्रकरण तलब कर यह देखना चाहिये था कि क्या वास्तव में आवेदकगण के अधिवक्ता को आदेश की जानकारी थी अथवा नहीं। इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार न करते हुये आदेश पारित कियां गया है जो न्यायसंगत नहीं है । अतः ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतएव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

5/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

6/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.05 को आदेश पारित किया गया है जिसकी अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में दिनांक 01.07.2006 को प्रस्तुत की गई है ।

यानी अपर आयुक्त के न्यायालय में अपील लगभग 11 माह 5 दिन बाद प्रस्तुत की गई है । विलंब माफी के आवेदन पत्र से स्पष्ट किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर में आवेदक द्वारा अंतिम तर्क प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर ने आदेश हेतु प्रकरण रिजर्व रख लिया। चूँकि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर में आवेदक, अनावेदक के रूप में पक्षकार था तो उसका दायित्व था कि वह अपने हितों के प्रति जागरूक रहें । लेकिन उसके द्वारा धारा 5 के आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलंब के कारण का कोई समाधानकारक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जबकि अपील प्रस्तुत करने में हुये विलंब का प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण आवश्यक है, जो इस प्रकरण में नहीं किया गया । इसी आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने अपने आदेश दिनांक 06.07.2006 से आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त कि जाती है एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2006 यथावत रखा जाता है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य